

प्रारूप 47

[नियम 83 (1) और नियम 87 (2) देखिए]
पर्यटन परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार-पत्र

सं.....

सचिव का कार्यालय

प्रादेशिक/राज्य परिवहन प्राधिकारी

तारीख

प्राधिकारी पत्र सं.

यह प्राधिकार-पत्र भारत के संघ राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र/निम्नलिखित राज्य/राज्यों में विधिमान्य है:—

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

(यहाँ उन राज्यों का नाम लिखिए जहाँ लागू हैं)

1. पूरा नाम और परमिट के धारक का पता
2. मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न और मेक
3. विनिर्माण वर्ष
4. मोटर यान का इंजन संख्यांक
5. मोटर यान का चेसिस संख्यांक
6. मोटर यान का परमिट संख्यांक
7. परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम
8. परमिट की समाप्ति की तारीख
9. मोटर यान का सकल यान भार
10. मोटर यान का लदान रहित भार
11. पर्यटक यान की दशा में बैठने के स्थान
12. प्राधिकार-पत्र की विधिमान्यता की अवधिसेतक
13. निम्नलिखित राज्य/राज्यों के लिए प्राधिकारी भिन्न-भिन्न राज्य के परमिट धारकों द्वारा कर्तव्य के संदाय के अधीन रहते हुए।

- 1.
- 2.

परिवहन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान और मुद्रा

.....

सम्मिश्र फीस के संदाय का प्रमाण-पत्र

क्रम सं०	उन राज्यों के नाम जिनके लिए संदाय किया गया	संदत्त रकम रू० पै०	बैंक ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख और बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति की तारीख	किससे संदय है	वह अवधि जिसके लिए संदत्त किया गया है	यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न	प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- 1.
- 2.
- 3.

परिवहन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

.....